कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

क्रमांकः– 19 /सामान्य/2022 दिनांकः–20.05.2022

–कार्यालय आदेश–

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अध्याधीन में अद्योहस्ताक्षरकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) व 410(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **मई, 2022** में अग्रवर्णित शासकीय अवकाश में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध, आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दांडिक मामले यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड अवधि बढ़ाने तथा जमानत प्रार्थना पत्र आदि का निस्तारण करने के लिए व **श्रीगंगानगर मुख्यालय से बाहर जिला न्यायक्षेत्र में स्थित अन्य आरक्षी केन्द्रों से संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/ लिंक अधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में,** उन न्यायालयों से संबंधित उक्त आवश्यक कार्य के लिए **पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांकः 12/सामान्य/2022 दिनांकित 21.04.2022 में आंशिक संशोधन** करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करता हूँ, जो उक्त कार्य अपने **न्यायालय कक्ष में प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे** के मध्य सम्पादित करेंगे–

क्र०सं०	न्यायालय का नाम (जिसके पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे)	अवकाश की दिनांक
01.	श्री विजय कोचर, आर.जे.एस. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01 श्रीगंगानगर	22.05.2022

नोटः–

1. किसी भी अवकाश दिवस के तुरन्त पूर्व/पश्चात कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु ड्यूटी, उससे तुरन्त पूर्व/पश्चात अवकाश दिवस के लिए अधिकृत ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्वहन की जावेगी।
2. अवकाश दिवस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा उस अवकाश दिवस के दिन प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व का निर्वहन किया जावेगा तथा मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध करने व मृतक बंदी से संबंधित कार्यवाही करने एवं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही का सम्पादन किया जावेगा।
3. डॉ.सोनिया पूर्वा, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–01 श्रीगंगानगर को दिनांक 22.05.2022 की रिमाण्ड ड्यूटी से मुक्त किया जाता है।

ह०/–
(डॉ.महेन्द्र के.एस.सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर।

क्रमांकः– 228 /रीडर/2022 दिनांकः–20.05.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
02. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01, श्रीगंगानगर।
03. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–02, श्रीगंगानगर।
04. अध्यक्ष, बार संघ, श्रीगंगानगर।
05. सहायक निदेशक अभियोजन, श्रीगंगानगर।
06. जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
07. अवकाश लेखा लिपिक, जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर।
08. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर

(डॉ.महेन्द्र के.एस.सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर।